



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58181

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 2545 / 2026

छोटू मिस्त्री उर्फ अमन आलम

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

राजीव कुमार पांडे, शारदेन्दु मिश्रा

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्याय कक्ष संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार पांडे और राज्य के लिए शासकीय अधिवक्ता श्री बीपी सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
- यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 385/2025 में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है, जिसमें धारा 317(2), 317(4), 317(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (समकक्ष धारा 411, 413, 414, 420, 468, 467, 471, 34 भारतीय दंड संहिता) के तहत पुलिस थाना- सराय इनायत, जिला- प्रयागराज में मुकदमा दर्ज किया गया है, आवेदन में यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में अपीलार्थी को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
- अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि सह-आरोपी अलाबख्श और अफसर अली के इकबालिया बयानों में अपीलार्थी का नाम सामने आया है, जिनके कब्जे से चोरी की वस्तुएं बरामद की गई थीं। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी की किसी विशिष्ट भूमिका, बरामदगी या कथित घटना में प्रत्यक्ष भागीदारी के संबंध में कोई आरोप नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी का केवल एक आपराधिक अभिलेख है, जिसका हलफनामे के अनुच्छेद 12 में विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है। यह भी निवेदन किया गया कि अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच संस्था या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि अपीलार्थी को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
- दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी का नाम गिरफ्तार सह-आरोपी अलाबख्श और अफसर अली के इकबालिया बयानों में सामने आया है, जिनके कब्जे से मोबाइल फोन सहित चोरी की वस्तुएं बरामद की गई हैं। उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रथम सूचक को नोटिस पहले ही तामील किया जा चुका है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को अभियोग की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

6. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित कानूनी सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, अपीलार्थी की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

7. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त मामले में अपीलार्थी छोटू मिस्त्री उर्फ अमन आलम की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 2000 रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। 50,000/- रुपये की अग्रिम जमानत राशि के साथ दो जमानती, प्रत्येक जमानत राशि इतनी ही राशि की, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) अपीलार्थी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी जाए;

(ii) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) अपीलार्थी संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

9. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

17 मार्च, 2026

नीतू